संख्या –846/V-2–2017–44(आ0)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद,
देहरादून।

2– मुख्य नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

3– निदेशक,
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 02 अगस्त जुलाई, 2017

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दुर्बल/निम्न आय वर्ग के भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Mandatory Conditions की पूर्ति किए जाने विषयक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मिशन के अन्तर्गत भवन उपविधि के प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा रिफार्म करने हेतु Mandatory Conditions का पालन किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन शर्तो में यह भी सम्मिलित है कि राज्य सरकार शहर के मास्टर प्लान में चिन्हित आवासीय जोन में आने वाली कृषि भूमि के मामले में अलग से गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करेगी।

2– अतः राज्य के नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त विकास क्षेत्रों में मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान में यदि आवासीय भू–उपयोग में कृषि भूमि है तो प्रधानमंत्री जन आवासीय योजना विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों में नगरीय/आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय उपयोग हेतु आवास विभाग उत्तराखण्ड की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी ।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त विकास क्षेत्रों में मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान में प्रधानमंत्री जन आवासीय योजना अन्तर्गत affordable housing हेतु भूमि का चयन करते हुए महायोजना में प्रदर्शित/चिन्हित किए जाए।

4– उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा अन्य मामलों पर दृष्टान्त नहीं होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 846/V-2-आ0–2017–40(आ)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त, उपाध्यक्ष/सचिव, विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5– निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड ___ को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।

585
2-8-17